संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : मानव विकास एवं सेवा संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : 261, हिन्दनगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. कार्य-क्षेत्र में रहने वाली जनता में स्वावलम्बन की भावना पैदा करके ग्रामों एवं शहरों का समग्र विकास करना तथा लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण (सुलभ शौचालय, नलकूप, पवनचक्कीं आदि) एवं वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी/प्रशिक्षण देना तथा विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी/विदेशी व अन्य सभी स्रोतों से सहायता उपलब्ध कराने में योगदान करना।
2. कार्य-क्षेत्र में रहने वाले कारीगरों एवं कृषकों को विकसित तकनीकी की जानकारी के लिए प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना तथा अन्य सभी, यथा-खादी ग्रामोद्योग के सहयोग तथा अन्य संस्थानों (यथा-ग्राम विकास एवं पंचायत उद्योग आदि) के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए उत्पादन एवं संरक्षण तथा उत्पादित माल की निकासी की व्यवस्था करना।
3. प्रान्तीय सरकार, भारत सरकार तथा अन्य सभी देशी एवं विदेशी संस्थाओं के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं ट्राइसेम योजना का क्रियान्वयन करना।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों विशेषकर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों तथा महिलाओं हेतु स्वरोजगार, आवास, छात्रावास, शैक्षिक स्थल, चिकित्सीय प्रशिक्षण एवं सहायता, पेयजल (हैण्डपम्प, नलकूप, सार्वजनिक पेयजल स्थल) आदि की व्यवस्था करना तथा अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं सहायता देना तथा उनकी हर समस्या के निराकरण हेतु सहायता एवं सहयोग प्रदान करना।
5. कार्य-क्षेत्र की जनता के शैक्षिक विकास के लिए बाल मन्दिर, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु पाठशालाओं/स्कूल/कालेज आदि की स्थापना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सतत् शिक्षा, बाल विकास, पुस्तकालय, कुटीर उद्योग एवं अन्य सभी जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. कार्य-क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ों तथा समाज के सभी वर्गों के लिए साहित्य का सृजन एवं प्रकाशन करना व समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों व अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों का उत्पादन करना।

कार्य-क्षेत्र की जनता के सुन्दर स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क अस्पताल, नशामुक्ति चिकित्सालय एवं काउन्सलिंग सेन्टर, बाल एवं महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, कार्यक्षेत्र में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं हेतु संचल/स्थिर चिकित्सालय व अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएँ, जो प्रान्तीय, भारतीय सरकार या विदेशी मदद से या संस्था अपने व्यय पर कर सके आदि का संचालन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर तथा स्वास्थ्य शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर तथा स्वास्थ्य मेला/प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.

सत्य प्रतिलिपि

8. मानव विकास एवं सेवा संस्थान का उद्देश्य कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाली निबन्धित अथवा अनिबन्धित संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना तथा सहयोग करना।
9. विकलांगों की समस्याओं को समझना एवं उनका अधिकतम निराकरण करना तथा उनके आवास, पुनर्वास, आर्थिक उत्थान एवं स्वावलम्बन के लिए सभी प्रकार के प्रशिक्षण स्वयं या गैर सरकार/सरकारी (प्रान्तीय, केन्द्रीय व अन्य) तथा विदेशी संस्थाओं की सहायता/अनुदान से संचालित करना तथा उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
10. अन्य वे सभी कार्य करना, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।
11. निर्धन, निराश्रित, पिछड़े, अन्धों, मूक बधिर, कुष्ठ व विकलांगों महिलाओं तथा बच्चों के लिए चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, दवायें, छात्रवृत्ति एवं शासन द्वारा संचालित मिड डे मील की सुविधा एवं निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना एवं विभिन्न संक्रामक रोगों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके उत्थान एवं विकास का हर सम्भव प्रयास करना।
12. ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय एवं पत्र-पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।
13. स्वरोजगार अपनाने हेतु जन साधारण को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, ललित कला, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक शिक्षा, क्रियेटिव राइटिंग एवं फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, चिकन कारी, जरी, डालमेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
14. निराश्रित, निर्धनों, दलितों, अनुसूचित जाति, जनजाति के वयस्क युवक, युवतियों के दहेज रहित विवाह कराने हेतु सामूहिक विवाह उत्सवों को आयोजित करना।
15. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना।
16. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण विभाग सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिप्सा, सेफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इण्डिया, केयर, सांस्कृतिक एवं कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं विकलांग कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व सहयोग करना।
17. जन हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, मूक बधिर विद्यालय, विकलांग विद्यालय, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, अतिथि गृह, शिशु पालन गृह, वृद्ध महिलाओं व पुरूषों के लिए शार्ट स्टे होम आदि की स्थापना करना।

हस्ताक्षर::

1. Harshvardhan
2. कुसुमलता
3.
4. Minakshi

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
11.11.10

18. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का निःशुल्क आयोजन करना एवं समय-समय पर महापुरूषों की जयन्ती, पुण्य तिथि का आयोजन करना तथा उनके जीवन चरित्र के बारे में गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करना।
19. संस्था के नाम से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रांतीय जिला तहसील ब्लाक व ग्राम स्तर पर सभी प्रकार के पुरस्कारों व खेलों की स्थापना व विशिष्ट लोगों को सम्मानित करना तथा प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ती-पत्र वितरित करना।
20. एड्स, कैंसर, टी0बी0, हेपेटाइटिस-बी, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, पल्स पोलियो व मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु कार्य करना।
21. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, धूम्रपान, नशा उन्मूलन, जल संचय (रेन हार्वेसिंग), स्वच्छ पेयजल, पुष्टाहार, हरियाली कार्यक्रम, बागवानी विकास, वैकल्पिक उर्जा, पशु पक्षी संरक्षण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, भूमि का मृदा परिक्षण, वर्मी कम्पोस्ड खाद, स्वच्छता जैसें राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कर क्रियान्वयन करना।
22. अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं आयोग के पैटर्न के अनुसार अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग को स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगारपरक बनाना।
23. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं बिमारियों में उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा शोध एवं अनुसंधान के कार्य करना।
24. संस्था द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबन्ध शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था शासन की अनुमति के पश्चात् करना।
25. संस्था के माध्यम से लोगों को सामाजिक वानिकी व वनों के महत्व को समझाना व वृक्षों की कटान व नदियों के क्षरण को रोकने हेतु जागरूकता शिविरों व गोष्ठियों का आयोजन करना एवं सामाजिक वानिकी द्वारा संचालित वन संरक्षण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कर उनके संचालन में सहयोग करना जिससे वनों, वन्य जीव-जन्तुओं व प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहे।
26. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कारीगरों हेतु हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा वस्तुओं की उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था में कारीगरों को सहयोग करना।
27. निराश्रित व गरीब महिलाओं/पुरूषों/युवकों को प्रचार-प्रसार सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण देना तथा समय-समय पर प्रदर्शनी, गोष्ठी, संगोष्ठी का आयोजन करना एवं महिला व युवा समूहों का गठन करना।
28. समिति के माध्यम से विभिन्न विषयों पर शोध-अनुसंधान, पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, मूल्यांकन, सर्वे, डाटा एनालिसिस के कार्य करना व उपरोक्त क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से सहायता प्राप्त करना तथा पुनर्वास एवं संरक्षण के कार्य करना।

हस्ताक्षर::

1.
2. कुसुमलता
3.
4.

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

29. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त करना।

30. कुशल मानव संसाधनों के सृजन हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना/दिलाना तथा उन्हें उचित संस्थानों को उपलब्ध कराना।

31. उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं उनको सभी वस्तुओं की कीमतों व गुणों की जानकारी प्रदान करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाना तथा जागरूकता शिविरों, नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, पोस्टरों, सेमिनारों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना एवं प्राप्त सूचना आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।

32. भूमि के विकास हेतु कृषकों को कृषि पर आधारित उद्योगों, यन्त्रों, रसायनिक खाद, जैव उर्वरको, जैव कीट नाशकों की उपयोगिता एवं उसको उत्पन्न करने की विधियों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षित कराना व समस्त प्रकार के वैधानिक अनुसंधान शोध करना एवं उत्पादित वस्तुओं का प्रबंधन, प्रदर्शन तथा हस्तांतरण करना तथा इसके लिये विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेना व प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर::

1.

2. कुसुम लता

3.

4. Minakshi